मुख्यमंत्री का महत्त्वपूर्ण निर्णय - न्यूनतम मज़दूरी में 26 रुपए प्रतिदिन की होगी बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों?

28 अगस्त, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने का अहम निर्णय लेते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिये न्यूनतम मज़दूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की मंज़ूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह मज़दूरी प्राप्त होगी।
- इसके अलावा, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मज़दूरी प्राप्त होगी।
- मज़दूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया गया है।
- विदित है कि श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मज़दूरी की वर्तमान में प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई, 2021 से दिसंबर, 2022 तक हुई 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मज़दूरी दरों में प्रतिदिन 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
- उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मज़दूरी की दरों में पिछली वृद्धि 7 रुपए प्रतिदिन की दर से एक जुलाई, 2021 से लागू की गई थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/i-decision-by-cm-there-will-be-an-increase-in-the-minimum-wages-by-rs-26-per-day